(भारत के राजपत्र के भाग-।। खंड-3 उपखंड-(।) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2005

संकल्प

सं.24012/8-क/2003-स्था. (ख)., भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं.46/1(एस)/74-स्था.(ख) दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-।।। (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रुप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में, समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों और गठनों में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं.39018/1/98-स्था.(ख) के तहत भी 1 जून 1999 से संशोधन किया गया ।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं.39018/1/98-स्था. (ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए गए जाएं, अर्थात :-

(ख) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प और जिसे दिनांक 13.11.2003 के तहत और संशोधन किया गया है, के पैरा 2(1) में, उप पैरा (ख) के पश्चात् विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) 6500-10 ,500/- रुपए के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करना ।"

(श्रीमती शुभा ठाकुर)

अवर सचिव, भारत सरकार

सं.24012/8-क/2003 स्था. (ख)

पाद-टिप्पणी : मुख्य संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में सं.39018/1/98-स्था. (ख) के तहत् प्रकाशित किया गया था और दिनांक 22.11.2003 के सं.24012/8-क/2003-स्था. (ख) के तहत् संशोधित किया गया था ।

सं.24012/8-क/2003-स्था. (ख) दिनांक 29 सितम्बर, 2005

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,रिंग रोड़, नई दिल्ली ।